संख्या -01/2016/490/14-5-2016-141/2015

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव/सचिव,
आवास/औद्योगिक विकास/उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण /
ग्राम्य विकास/नगर विकास/लोक निर्माण/सिंचाई/रेशम विकास/
माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा।
2. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-5 **लखनऊ, दिनांक, 30 मार्च, 2016**

विषय: वर्ष 2016-17 के वृक्षारोपण लक्ष्यों का निर्धारण।

महोदय,

पर्यावरणीय संतुलन बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रदेश का अधिक से अधिक भू-भाग हरा-भरा हो। वनों एवं वृक्षों से निरन्तर लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय वन नीति-1988 एवं राज्य वन नीति-1998 के अनुसार प्रदेश का एक तिहाई भू-भाग वनाच्छादित व वृक्षाच्छादित हो। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2015 के अनुसार उ0प्र0के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 6.00 प्रतिशत वनावरण तथा 2.92 प्रतिशत क्षेत्र वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 8.93 के मात्र प्रतिशत क्षेत्र (21,505 वर्ग कि0मी0 भू भाग) में ही वनावरण एवं वृक्षाच्छादन है। अधिक से अधिक वृक्षारोपण कराये जाने के लक्ष्य की प्राप्ति एवं प्रदेश के वनावरण एवं वृक्षाच्छादन में वृद्धि हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय के रूप में कार्य किया जाना होगा।

2- शासनादेश संख्या-2005/14-5-2004-52/2003, दिनांक 10.11.2004 के द्वारा प्रदेश में वृक्षाच्छादन वृद्धि हेतु विभिन्न विभागों के योगदान से वनीकरण/वृक्षारोपण सम्बन्धी कार्यो के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति गठित है।

3- वर्ष 2016 में माह जुलाई वर्षाकाल में किसी निर्धारित तिथि पर वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा 5.00 करोड पौधों का रोपण एवं अन्य विभागों द्वारा 1.00 करोड पौध वर्षाकाल में कुल 6.00 करोड पौध रोपण का लक्ष्य निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है:-

क्रम सं0	**विभाग का नाम**	**वर्ष 2016-17 हेतु प्रस्तावित लक्ष्य (पौध रोपण द्वारा)**	
		हे0 में	**पौध संख्या में**
1	2	3	4
1	**वन विभाग**	76923	50000000
	योग वन विभाग	**76923**	**50000000**
2	**अन्य विभाग**		
1	आवास विभाग	769	500000
2	औद्योगिक विभाग	769	500000
3	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग	385	250000
4	ग्राम्य विकास विभाग	10000	6500000
5	नगर विकास विभाग	385	250000
6	लोक निर्माण विभाग	385	250000
7	सिंचाई विभाग	1538	1000000
8	रेशम विकास	385	250000
9	माध्यमिक शिक्षा	462	300000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्रम सं0	विभाग का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु प्रस्तावित लक्ष्य (पौध रोपण द्वारा)	
		हे0 में	पौध संख्या में
1	2	3	4
10	बेसिक शिक्षा	308	200000
	योग (अन्य विभाग)	**15385**	**10000000**
	कुल योग	**92308**	**60000000**

4- विभागीय वृक्षारोपण के अन्तर्गत वन/आवास/औद्योगिक विकास/ उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/ग्राम्य विकास/नगर विकास/लोक निर्माण/ सिंचाई/रेशम विकास/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा के लिए लक्ष्य परिशिष्ट-1 पर दर्शाएं गये है । सम्बन्धित विभाग अपने विभागीय लक्ष्यों की प्राप्ति के अभिलेख का रख-रखाव परिशिष्ट-2 के अनुसार सुनिश्चित करेगे तथा इस कार्य हेतु सम्बन्धित विभाग समय से आवश्यक धनराशि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ।

5- वृक्षारोपण कार्यक्रम को जनोन्मुखी और अधिक प्रभावी बनाने के दृष्टिगत किसानों एवं आम नागरिकों को प्रेरित कर उनकी निजी भूमि पर वृक्षारोपण कराये जाने हेतु सभी विकास विभागों यथा आवास/औद्योगिक विकास/ उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/ग्राम्य विकास/नगर विकास/लोक निर्माण/ सिंचाई/रेशम विकास/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा का अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाय। बच्चों में पौधों के प्रति प्रेम जागृत करने एवं वृक्षारोपण के महत्व को उजागर करने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा स्कूली बच्चों को पौध रोपित करने हेतु प्रेरित किया जाय ।

6- जिलाधिकारी जनपद के अन्य विभागों के लक्ष्य में अन्तर्विभागीय समायोजन कर सकते है, परन्तु जनपद का लक्ष्य परिवर्तित नही होगा ।

7- **जिला वृक्षारोपण समिति** -जनपद स्तर पर प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला वृक्षारोपण समिति गठित की जाती है जिसके संयोजक प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी होंगे तथा सभी कार्यदायी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी इसके सदस्य होगें । वृक्षारोपण की सफलता सुनिश्चित किये जाने हेतु समिति का मुख्य दायित्व समन्वय, नियोजन एवं नियमित अनुश्रवण का होगा ।

जिला वृक्षारोपण समिति जनपद में वृक्षारोपण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करेगी तथा जिले के आवंटित लक्ष्यों को शत-प्रतिशत प्राप्त करने हेतु समय से रण्नीति तैयार कर वृक्षारोपण लक्ष्यों को प्राप्त करेगी ।

जिला वृक्षारोपण समिति समस्त विभागों के निर्धारित वृक्षारोपण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समय-समय पर समीक्षा बैठक कर वृक्षारोपण से सम्बन्धित तैयारियों एवं प्रगति का अनुश्रवण करेगी। मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्तों द्वारा भी वृक्षारोपण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की जायेगी।

8- पौधों की उपलब्धता के लिए रण्नीति - निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप वृक्षारोपण के लिए आवश्यक पौधों की पर्याप्त उपलब्धता हेतु जिला वृक्षारोपण समिति बैठक करके रणनीति तैयार करेगी। निजी पौधशालाओं से पौधों का क्रय तभी किया जायेगा जब प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी विभाग को यह प्रमाण-पत्र उपलब्ध करा दिया गया हो कि उनके नियंत्राधीन विभागीय पौधशालाओं में पौध उपलब्ध नही है । निजी पौधशाला में उपलब्ध पौधों का सर्वेक्षण वन विभाग द्वारा किया जायेगा एवं प्रत्येक जनपद में उपलब्ध पौधों की पौधशालावार एवं प्रजातिवार सूचना संकलित करते हुए जिला वृक्षारोपण समिति को प्रस्तुत की जायेगी एव जिला वृक्षारोपण समिति के माध्यम से उपलब्ध पौधों का विवरण अन्य कार्यदायी विभागों को उपलब्ध कराया जायेगा।

9- प्रजातियों का चयन प्रदेश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में मृदा एवं एग्रोक्लाइमेटिंक जोन के अनुसार रोपित किये जाने वाली उपयुक्त वृक्ष प्रजातियों का विवरण परिशिष्ट-3 पर रखा गया है । रोपित की जाने वाली प्रजातियों के सम्बन्ध में यह भी निर्देश दिये जाते है कि यथासंभव स्थानीय प्रजातियों (indigenous species) के रोपण को प्राथमिकता दी जाय । परिशिष्ट-3 में उल्लिखित प्रजातियों के अतिरिक्त भी यदि मृदा/जलवायु अन्य प्रजातियों के लिए उपयुक्त हों तो उनका भी रोपण किया जा सकता है ।

10- **वित्तीय संसाधन की व्यवस्था -**

(क). भूमि उपयोग करने वाले सम्बन्धित विभाग यथा- आवास/औद्योगिक विकास/ उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/ग्राम्य विकास/नगर विकास/लोक निर्माण/ सिंचाई/रेशम विकास/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा अपने विभागीय बजट से खाली पडी सरकारी भमि पर वृक्षारोपण कार्य करायेंगे । इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रदेश शासन के पत्रांक 2464/14-5-2015-123/2015 दिनांक 20-10-2015 द्वारा विभिन्न विभागों को दिशानिर्देश निर्गत किये गये है जिसमें उनके आयोजनागत बजट से 0.5 प्रतिशत धनराशि भूमि एवं जल संरक्षण, वाटरशेड डेवलमेंट एवं वृक्षारोपण कार्यो में लगाये जाने का प्राविधान है ।

(ख). वृक्षारोपण कार्य को सम्पादित करने हेतु जनपद स्तर पर ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित परियोजनाओं यथा-मनरेगा से वित्त पोषण हेतु वृक्षारोपण के लिए परियोजनाएं जिलाधिकारियों/मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित की जा सकती है ।

(ग). बैठक कर यह समीक्षा कर लें कि अग्रिम मृदा कार्य एवं तत्पश्चात वृक्षारोपण व अनुरक्षण हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध हो गयी है । अग्रिम मृदा कार्य कराने के लिए समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें जिससे वृक्षारोपण लक्ष्यों की प्राप्ति ससमय की जा सकें।

11- **स्थल का चयन-** यह आवश्यक है कि जनपदों के लिए अन्तिम रूप से निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यवाही तत्काल प्रारंभ कर दी जाय। प्रत्येक कार्यदायी विभाग द्वारा आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्ययोजना तैयार कर ली जाय। इसमें वृक्षारोपण स्थल का चयन, रोपित किये जाने वाले पौधों का स्थल तथा प्रजातिवार संख्या का अनुमान, पौधों की प्राप्ति के लिए स्रोत (पौधशाला) का चिन्हीकरण, वृक्षारोपण क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी कर्मचारी/व्यक्ति का नाम आदि विवरण तैयार कर लिया जाय।

12- वृक्षारोपण कार्य को माह जुलाई-2016 में किसी भी एक तिथि को किया जाना है। अतएव यह आवश्यक है कि वृक्षारोपण की सफलता हेतु समस्त तैयारी समय से पूर्ण कर ली जाय ।

13- अनुश्रवण- जिला स्तरीय वृक्षारोपण समिति द्वारा वृक्षारोपण के रख-रखाव पर विशेष बल दिया जाय क्योकि रोपण से अधिक महत्वपूर्ण रोपित पौधों की सुरक्षा कार्य है । वर्ष 2016-17 में वृक्षारोपण कार्य में सरकारी भूमि पर कराये जाने वाले वृक्षारोपणों के स्थलीय सत्यापन हेत आवश्यक व्यवस्था निम्न प्रकार से की जाय:-

(क). वन विभाग के विभागीय वृक्षारोपणों का शत-प्रतिशत स्थलीय सत्यापन सम्बन्धित वन संरक्षकों द्वारा अन्तर्विभागीय जांच दलों से कराया जाय ।

(ख). अन्य विभाग के विभागीय वृक्षारोपण के कार्यो का स्थलीय सत्यापन जिलाधिकारी जिला वृक्षारोपण समिति के माध्यम से अन्तर्विभागीय जांच समितियॉं गठित कर कराया जाना सुनिश्चित करेंगे ।

(ग). सम्बन्धित विभागों द्वारा कराये जा रहे वृक्षारोपण के कुल लक्ष्य का 5 प्रतिशत सत्यापन विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा कराया जायेगा।

(घ). सम्बन्धित विभाग जिन्हे विभागीय वृक्षारोपण के लक्ष्य आवंटित किये गये है, द्वारा स्थलवार रोपित पौधों की सूचना विकासखण्डवार जिला स्तरीय अधिकारी के कार्यालय में रखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा ताकि सत्यापन हेतु अन्तर्विभागीय जांच टीमों को विवरण उपलब्ध हो सकें ।

(च). सम्बन्धित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के विरूद्ध प्रगति की संकलित सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियो/प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी को उपलब्ध करायी जायेगी।

14- कृपया समस्त जिलाधिकारीगण वृक्षारोपण की प्रगति रिपोर्ट शासन तथा अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, 17-राणा प्रताप मार्ग, उ0प्र0, लखनऊ को जुलाई 2016 की निर्धारित तिथि की समाप्ति तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। वृक्षारोपण की निश्चित तिथि की सूचना अलग से प्रेषित की जायेगी।

उक्त आदेशों का कृपया कडाई से अनुपालन किया जायेगा ।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव ।

संख्या-01/2016/490(1)/14-5-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1). प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
(2). प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
(3). समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4). समस्त क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश ।
(5). समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
(6). समस्त परियोजना निदेशक, अपर जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(7). समस्त मुख्य विकास अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

संजीव सरन
प्रमुख सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परिशिष्ट-3

प्रदेश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए उपयुक्त रोपित की जानी वाली प्रजातियों का विवरण

1- **तराई-भाबर जोन**

(क) ईंधन वाली प्रजातियॉं
बबूल, यूकेलिप्टस, सुबबूल और काला सिरस

(ख) चारा-पत्ती वाली प्रजातियॉं
अर्जुन (टरमिनेलिया अर्जुना), अर्रू (आइलैन्थस इक्सेल्सा), असना (टरमिनेलिया एलाटा), बबूल, बहेड़ा, बैसी (सैलिक्स टेट्रिस्पर्मा, बकैन, धौरा, कटहल (आर्टोकार्पस हीटेरोफिलस), लसौड़ा (कार्डिया डाइकोटेमा), पूला (कीडिया कैलीसिना), कुईराल (बाहीनिया पर्पूरिया), सॉंदन, सुबबूल और शहतूत

(ग) इमारती लकड़ी वाली प्रजातियॉं
शीशम, जामुन, पौपलर, सागौन, गम्हार (मेलायना आरबोटिया)

(घ) फलदार प्रजातियॉं
आम, ऑवला, बहेड़ा, बेल, बेर, जामुन, कटहल, लसोड़ा आदि।

(ड) शोभाकार प्रजातियॉं
केशिया सियामिया, सेमल, जरूल (लेगसीट्रमिया फलासरेजाइना), अमलतास, कचनार, गुलमोहर, एल्सटोनिया (छितवन) कदम्ब।

(च) पर्यावरण प्रजातियॉं
पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर

2- **तराई जोन**

(क) ईंधन वाली प्रजातियॉं
बबूल, ढाक, सुबबूल, सिद्वा (लैगर्सट्रिमिया पार्वीफलोरा) प्रोसोपिस (विलायती बबूल) जामुन, काला सिरस

(ख) चारा-पत्ती वाली प्रजातियॉं
अर्रू, बबूल, बकैन, बेर, कचनार, पूला, सुबबूल संजना, नीम, बेसी, सैलिक्स

(ग) इमारती लकड़ी वाली प्रजातियॉं
असना/सेन, बबूल, बांस, सागौन, शीशम, नीम, जामुन आदि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(घ) फलदार प्रजातियॉं
आँवला, बेल, इमली, कटहल, लसोड़ा, महुआ, संजना आदि

(ड) शोभाकार प्रजातियॉं
अमलतास, कैसिया, सेमल, मदार/कोरल ट्री (एरीथाइना इण्डिका), कचनार, गुलमोहर, जकरेन्डा, कदम (एन्थेसिफलस कदम्बा) सीता अशोक, नीम, चमेली, आकाश नीम, पेल्टोफोरम, अशोक, पालीएल्थिया पेन्डुला, मौलश्री (माइमूसाप्स एलेंगी)।

3- <u>गांगेय क्षेत्र (पश्चिमी)</u>

(क) ईंधन वाली प्रजातियॉं
बबूल, ढाक, इमली, फराश, कंजी, सुबबूल, प्रोसोपिस (बिलायती बबूल), काला सिरस

(ख) चारा-पत्ती वाली प्रजातियॉं
अर्रू, बबूल, बेर, कचनार, लसोड़ा, नीम, काला सिरस, सुबबूल

(ग) इमारती लकड़ी वाली प्रजातियॉं
शीशम, जामुन,सागौन, बबूल, कंजू, नीम, आम

(घ) फलदार प्रजातियॉं
आम, इमली, बेल, आँवला, महुआ, कचना, सैंजना, कैथा, खिन्नी, लसोडा आदि

(ड) शोभाकार प्रजातियॉं
कनकचम्पा, अमलतास, कैशिया, सियामिया, अशोक, गुलमोहर, कचनार, नीम, चमेली, सेमल, मदार, जकरन्डा, कदम्ब।

4- <u>गांगेय क्षेत्र (पूर्वी)</u>

(क) ईंधन वाली प्रजातियॉं
अर्जुन, बबूल, इमली, कंजी, सुबबूल, बिलायती बबूल, ढाक आदि

(ख) चारा-पत्ती वाली प्रजातियॉं
अर्रू, बेल, बेर, धौरा, कचनार, काला सिरस, सफेद सिरस, नीम लसोडा, सुबबूल आदि।

(ग) इमारती लकड़ी वाली प्रजातियॉं
शीशम, सागौन, जामुन, आम, महुआ, काला सिरस, कंजू, कठ सागौन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(घ) फलदार प्रजातियॉं
आम, ऑवला, बेल, बेर, कटहल, इमली, कचनार, महुआ, सेंजन, और जामुन आदि

(ड) शोभाकार प्रजातियॉं
वह सभी प्रजातियॉं जो गांगेय क्षेत्र पश्चिमी में दी गई हैं।

5- <u>विन्ध्य जोन</u>

(क) ईंधन वाली प्रजातियॉं
बबूल, कघई, कन्जी, विलायती बबूल, सुबबूल, अंजन, बेर और कंकोर

(ख) चारा-पत्ती वाली प्रजातियॉं
बबूल, बेल, कचनार, काला सिरस, सैंजन, अंजन

(ग) इमारती लकड़ी वाली प्रजातियॉं
शीशम, काला सिरस, सागौन, महुआ

(घ) फलदार प्रजातियॉं
बेल, चिरौंजी, खिन्नी, महुआ, ऑवला, शरीफा

(ड) शोभाकार प्रजातियॉं
अमलतास, नीम, चमेली

6- निम्न प्रजातियॉं जलमग्न क्षेत्र के लिए उपयोगी है (पानी कुछ महीने ही जमा रहता हो) -
अर्जुन, जामुन, बैसी, गुटेल, सफेद सिरस, ढाक।

7- नदियों के किनारे पानी वाली भूमि जहॉं वर्षा में बाढ़ आ जाती है-
सफेद सिरस, पेपर मलबरी, शीशम, खैर, झाऊ, वाइटेक्स निगन्डू।

8- मेरठ, बुलन्दशहर व अन्य जिलों के खादर क्षेत्र (वह क्षेत्र जहॉं गंगा की बाढ़ में लम्बेसमय के लिये पानी जमा हो जाता है, केवल वहीं स्थान जो ऊँचाई पर हैं वृक्षारोपण के लायक है)
कठ सागौन, ढाक, काला सिरस, सफेद सिरस, जामुन आदि

9- बीहड़ भूमि (रेवीन्स)-
विलायती बबूल (नीचे घाटियों में) नीम, जंगल जलेबी, करील, पार्किन्सोनिया, खजेड़ा, लसोडा

10- पथरीले क्षेत्र-
नीम, अंजन, बेर, सलाई।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

11- रेतीले क्षेत्र-

बबूल, कठ सागौन, काला सिरस, नीम, शीशम, पार्किन्सोनिया, विलायती बबूल, फराश, बेर।

12- चिकनी मिट्टी वाले क्षेत्र-

बबूल, आकशमोनी, ढाक, असना, अर्जुन और जामुन।

13- उसरीले क्षेत्र-

(क) पी0एच0-9 से नीचे

काला सिरस, नीम, महुआ, आकाश मोनी, विलायती बबूल, अर्जुन, ढाक, भारी ऊसर वाले क्षेत्र।

(ख) पी0एच0-9 से ऊपर

विलायती बबूल, अर्जुन, और ढाक ही हो सकते है-वह भी तब जब पानी देने की व्यवस्था हो और मृदा को ठीक करने वाले पदार्थ जैसे जिप्सम या पाइराइट दिया गया हो।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परिशिष्ट-2

विभागीय वृक्षारोपण कार्यक्रम में वृक्षारोपण का विवरण (आवास/औद्योगिकविकास/उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/ग्राम्य विकास/ नगर विकास/लोक निर्माण/सिंचाई/रेशम विकास/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा)

जनपद का नाम-

ब्लाक का नाम-

वर्ष -

क्र0सं0	वृक्षारोपण स्थल के सम्बन्ध में		रोपित पौधों की संख्या		वृक्षारोपण स्थल का क्षेत्रफल (हे0)	अभ्युक्ति
	ग्राम/शहर का नाम	स्थल का पता	प्रजाति	संख्या		
1	2	3	4	5	6	7

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परिशिष्ट-1

वर्ष 2016-17 में 5 करोड पौध रोपण हेतु विभागीय अनन्तिम लक्ष्य

क्र0 सं0	जनपद/प्रभाग	विभागीय प्रस्तावित लक्ष्य (केवल पौध रोपण द्वारा)	
		हे0 में	पौध संख्या में
1	2	3	4
1	मेरठ	458	297500
2	गाजियाबाद	121	78500
3	हापुड	219	142500
4	बुलन्दशहर	500	325000
5	गौतमबुद्धनगर	196	127500
6	बागपत/मेरठ	196	127500
	मेरठ मण्डल	**1690**	**1098500**
7	सहारनपुर	31	20000
	शिवालिक	1509	980700
8	मुजफ्फरनगर	725	471500
9	शामली	392	255000
	सहारनपुर मण्डल	**2657**	**1727200**
10	आगरा	1023	665000
11	फिरोजाबाद	431	280000
12	मैनपुरी	1183	769000
13	मथुरा	400	260000
	आगरा मण्डल	**3037**	**1974000**
14	**अलीगढ़**	546	355000
15	एटा	538	350000
16	हाथरस	608	395000
17	कासगंज	462	300000
	अलीगढ़ मण्डल	**2154**	**1400000**
18	बदायूँ	980	637000
19	बरेली	374	243000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

20	शाहजहॉपुर	1046	680000
21	पीलीभीत/पीलीभीत सा0वा0	123	80000
	पीलीभीत टाईगर रिजर्व	285	185000
	बरेली मण्डल	**2808**	**1825000**
22	बिजनौर	454	295000
	बिजनौर/नजीबाबाद	754	490000
23	मुरादाबाद	331	215000
24	सम्भल	192	125000
25	रामपुर	462	300000
26	अमरोहा	908	590000
	मुरादाबाद मण्डल	**3100**	**2015000**
27	कानपुर नगर	846	550000
28	कानपुर देहात	938	610000
29	फरूर्खाबाद	254	165000
30	फरूर्खाबाद/कन्नौज	1092	710000
31	इटावा	1692	1100000
32	इटावा/औरैया	628	408000
	कानपुर मण्डल	**5451**	**3543000**
33	दक्षिण खीरी	754	490000
	उत्तर खीरी	1131	735000
34	सीतापुर	1311	852000
35	हरदोई	1600	1040000
36	उन्नाव	3328	2163000
37	लखनऊ	1585	1030000
38	रायबरेली	1569	1020000
	लखनऊ मण्डल	**11277**	**7330000**
39	बाराबंकी	1400	910000
40	फैजाबाद	1431	930000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

41	सुल्तानुपर	1123	730000
42	अम्बेडकरनगर	1246	810000
43	अमेठी	1231	800000
	फैजाबाद मण्डल	**6431**	**4180000**
44	बहराइच	1292	840000
45	गोण्डा	938	610000
46	श्रावस्ती	1900	1235000
47	बलरामपुर	315	205000
	बलरामपुर सोहेलवा व0जी0	185	120000
	देवीपाटन मण्डल	**4631**	**3010000**
48	सिद्धार्थनगर	935	607500
49	बस्ती	873	567500
50	संतकबीनगर	423	275000
	बस्ती मण्डल	**2231**	**1450000**
51	मऊ	538	350000
52	आजमगढ़	846	550000
53	बलिया	923	600000
	आजमगढ़ मण्डल	**2308**	**1500000**
54	गोरखपुर	1250	812500
55	महराजगंज/सोहागीबरना वन्य जीव	231	150000
	महराजगंज/गोरखपुर पार्ट	701	455500
56	देवरिया	1053	684500
57	पड़रौना कुशीनगर	712	462500
	गोरखपुर मण्डल	**3946**	**2565000**
58	जौनपुर	769	500000
59	गाजीपुर	488	317500
60	वाराणसी	296	192500
61	चन्दौली/कशी वन्य जीव	1477	960000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	वाराणसी मण्डल	**3031**	**1970000**
62	फतेहपुर	485	315000
63	प्रतापगढ़	462	300000
64	इलाहाबाद	1000	650000
65	कौशाम्बी	446	290000
	इलाहाबाद मण्डल	**2392**	**1555000**
66	मिर्जापुर	1869	1215000
	कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर	538	350000
67	सोनभद्र	1246	810000
	ओबरा	1569	1020000
	रेनुकूट	1549	1007000
	केमूर वन्य जीव प्रभाग, सोनभद्र	154	100000
68	सन्तरविदासनगर / भदोही	124	80300
	मिर्जापुर मण्डल	**7050**	**4582300**
69	जालौन/उरई	1797	1168000
70	झाँसी	1998	1299000
71	ललितपुर	2712	1763000
	झाँसी मण्डल	**6508**	**4230000**
72	हमीरपुर	1960	1274000
73	बांदा	785	510000
74	महोबा	1266	823000
75	चित्रकूट	2058	1338000
	कैमूर वन्य जीव प्रभाग, चित्रकूट	154	100000
	चित्रकूटधाम मण्डल	**6223**	**4045000**
	महायोग उत्तर प्रदेश	**76923**	**50000000**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वर्ष 2016-17 हेतु अन्य विभागों के वृक्षारोपण लक्ष्य (अनन्तिम)

क्र0सं0	जनपद /प्रभाग	आवास विभाग		औ0 विकास विभाग		उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग		ग्राम्य विकास विभाग		नगर विकास विभाग		लोक निर्माण विभाग		सिंचाई विभाग		रेशम विकास विभाग		माध्यमिक शिक्षा		बेसिक शिक्षा		कुल	
		हे0 में	पौध संख्या में	हे0 में	पौध संख्या में	हे0 में	पौध संख्या में	हे0 में	पौध संख्या में	हे0 में	पौध संख्या में	हे0 में	पौध संख्या में	हे0 में	पौध संख्या में	हे0 में	पौध संख्या में	हे0 में	पौध संख्या में	हे0 में	पौध संख्या में	हे0 में	पौध संख्या में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	आगरा	31	20000	12	8000	5	3333	119	77440	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	213	138772
2	मथुरा	15	10000	\		5	3333	89	57950	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	156	101282
3	फिरोजाबाद	0	0	5	3000	5	3333	94	61200	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	150	97532
4	मैनपुरी	0	0	1	500	5	3333	94	60863	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	146	94695
	आगरा मण्डल	46	30000	18	11500	21	13332	396	257453	21	13332	21	13332	82	53332	21	13332	25	16000	16	10667	665	432280
5	फतेहपुर	0	0	1	500	5	3333	156	101640	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	208	135472
6	प्रतापगढ	0	0	0		5	3333	206	133705	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	257	167037
7	इलाहाबाद	31	20000	16	10500	5	3333	265	172546	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	364	236378
8	कौशाम्बी	0	0	8	5500	5	3333	82	53240	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	142	92072
	इलाहाबाद मण्डल	31	20000	25	16500	21	13332	709	461131	21	13332	21	13332	82	53332	21	13332	25	16000	16	10667	971	630958
9	बदायूँ	0	0	1	500	5	3333	165	107085	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	217	140917
10	बरेली	31	20000	8	5500	5	3333	187	121847	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	278	180679
11	पीलीभीत/पीलीभीत सा0वा0	0	0	5	3000	5	3333	112	72479	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	167	108811
	पीलीभीत व0प्र0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
12	शाहजहाँपुर	0	0	1	500	5	3333	172	111562	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	224	145394
	बरेली मण्डल	31	20000	15	9500	21	13332	635	412973	21	13332	21	13332	82	53332	21	13332	25	16000	16	10667	886	575800
13	बाराबंकी	0	0	1	500	5	3333	187	121242	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	239	155074
14	फैजाबाद	15	10000	16	10500	5	3333	136	88209	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	219	142041
15	सुल्तानपुर	0	0	1	500	5	3333	150	97405	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	202	131237

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

16	अम्बेडकरनगर	0	0	1	500	5	3333	146	95106	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	198	128938
17	अमेठी	0	0	0		5	3333	107	69696	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	159	103028
	फैजाबाद मण्डल	15	10000	18	12000	26	16665	726	471658	26	16665	26	16665	103	66665	26	16665	31	20000	21	13333	1016	660316
18	गोरखपुर	31	20000	1	500	5	3333	252	163834	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	335	217666
19	महाराजगंज	0	0	3	2000	5	3333	173	112409	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	227	147741
	महराजगंज/ गोरखपुर पार्ट	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
20	देवरिया	0	0	1	500	5	3333	222	143990	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	274	177822
21	कुशीनगर	0	0	1	500	5	3333	209	135641	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	261	169473
	गोरखपुर मण्डल	31	20000	5	3500	21	13332	855	555874	21	13332	21	13332	82	53332	21	13332	25	16000	16	10667	1096	712701
22	जालौन/उरई	0	0	1	500	5	3333	105	68244	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	157	102076
23	झाँसी	8	5000	5	3000	5	3333	81	52877	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	145	94209
24	ललितपुर	0	0	0		5	3333	63	41140	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	115	74472
	झाँसी मण्डल	8	5000	5	3500	15	9999	250	162261	15	9999	15	9999	62	39999	15	9999	18	12000	12	8000	417	270756
25	कानपुर नगर	77	50000	42	27000	5	3333	104	67397	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	273	177729
26	कानपुर देहात	0	0	2	1500	5	3333	114	74052	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	168	108884
27	फरूखाबाद	0	0	0		5	3333	95	61952	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	147	95284
28	फरूखाबाद/कन्नौज	0	0	0		5	3333	82	53361	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	133	86693
29	इटावा	0	0	0		5	3333	78	50820	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	129	84152
30	इटावा/औरैया	0	0	0		5	3333	82	53361	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	133	86693
	कानपुर मण्डल	77	50000	44	28500	31	19998	555	360943	31	19998	31	19998	123	79998	31	19998	37	24000	25	16000	984	639433
31	खीरी/दक्षिण खीरी	0	0	0		5	3333	185	120395	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	237	153727
	खीरी/उत्तर खीरी	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
32	सीतापुर	0	0	5	3000	5	3333	247	160809	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	303	197141
33	हरदोई	0	0	8	5500	5	3333	243	158268	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	303	197100
34	उन्नाव	8	5000	8	5500	5	3333	178	115434	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	245	159266
35	लखनऊ	115	75000	16	10500	5	3358	93	60258	5	3358	5	3358	21	13358	5	3358	6	4000	4	2667	276	179215
36	रायबरेली	8	5000	5	3000	5	3333	156	101156	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	219	142488

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	लखनऊ मण्डल	131	85000	42	27500	31	20023	1102	716320	31	20023	31	20023	123	80023	31	20023	37	24000	25	16000	1583	1028935
37	मेरठ	77	50000	3	2000	5	3333	85	55539	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	217	140871
38	गाजियाबाद	246	160000	2	1500	5	3333	28	18392	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	328	213224
39	हापुड	0	0	2	1000	5	3333	47	30613	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	100	64945
40	बुलन्दशहर	8	5000	0		5	3333	165	107569	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	224	145901
41	गौतमबुद्धनगर	0	0	498	323500	5	3333	45	29403	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	594	386235
42	बागपत	0	0	0		5	3333	46	29645	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	97	62977
	मेरठ मण्डल	331	215000	505	328000	31	19998	417	271161	31	19998	31	19998	123	79998	31	19998	37	24000	25	16000	1560	1014151
43	बिजनौर सा0वा0	0	0	0		5	3333	179	116039	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	230	149371
	बिजनौर/बिजनौर वृ0ा0 नजीबाबाद	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
44	मुरादाबाद	31	20000	3	2000	5	3333	109	71148	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	195	126480
45	सम्भल	0	0	2	1000	5	3333	104	67276	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	156	101608
46	रामपुर	0	0	8	5500	5	3333	108	70180	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	168	109012
47	अमरोहा	0	0	5	3000	5	3333	112	72721	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	168	109053
	मुरादाबाद मण्डल	31	20000	18	11500	26	16665	611	397364	26	16665	26	16665	103	66665	26	16665	31	20000	21	13333	916	595522
48	जौनपुर	0	0	0		5	3333	330	214533	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	381	247865

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

49	गाजीपुर	0	0	12	8000	5	3333	230	149677	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	294	191009
50	वाराणसी	8	5000	1	500	5	3333	141	91960	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	201	130792
51	चन्दौली/काशी वन्य जीव	0	0	0		5	3333	115	75020	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	167	108352
	वाराणसी मण्डल	8	5000	13	8500	21	13332	817	531190	21	13332	21	13332	82	53332	21	13332	25	16000	16	10667	1043	678017
52	मऊ	0	0	3	1750	5	3333	127	82764	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	181	117846
53	आजमगढ़	0	0	3	1750	5	3333	301	195657	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	355	230739
54	बलिया	0	0	12	8000	5	3333	155	100793	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	219	142125
	आजमगढ़ मण्डल	0	0	18	11500	15	9999	583	379214	15	9999	15	9999	62	39999	15	9999	18	12000	12	8000	755	490709
55	सिद्धार्थनगर	0	0	0		5	3333	186	120879	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	237	154211
56	बस्ती	0	0	0		5	3333	195	126687	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	246	160019
57	संतकबीरनगर	0	0	0		5	3333	121	78408	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	172	111740
	बस्ती मण्डल	0	0	0	0	15	9999	501	325974	15	9999	15	9999	62	39999	15	9999	18	12000	12	8000	655	425969
58	मिर्जापुर	0	0	0		5	3333	141	91718	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	192	125050
	मिर्जापुर/कैमूर वन्य जीव	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
59	सोनभद्र/सोनभद्र	0	0	12	8000	5	3333	93	60621	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	0	0	153	99286
	सोनभद्र/ओबरा	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0		0		0		4	2667	4	2667
	सोनभद्र/रेनुकूट	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
60	भदोही	0	0	0		5	3333	90	58201	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	141	91533
	मिर्जापुर मण्डल	0	0	12	8000	15	9999	324	210540	15	9999	15	9999	62	39999	15	9999	18	12000	12	8000	490	318535
61	सहारनपुर	8	5000	10	6500	5	3333	143	92686	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	212	137518
	सहारनपुर/शिवालिक	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
62	मुजफ्फरनगर	8	5000	1	500	5	3333	89	57838	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	149	96670
63	शामली	0	0	2	1000	5	3333	39	25394	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	92	59725
	सहारनपुर मण्डल	15	10000	12	8000	15	9999	271	175918	15	9999	15	9999	62	39999	15	9999	18	12000	12	8000	452	293913
64	हमीरपुर	0	0	0		5	3333	58	37990	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	110	71322

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

65	बांदा	0	0	0		5	3333	81	52875	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	133	86207
66	महोबा	0	0	1	500	5	3333	51	33030	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	103	66862
67	चित्रकूट	0	0	0		5	3333	61	39930	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	113	73262
	चित्रकूट/कैमर वन्य जीव	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
	चित्रकूटधाम मण्डल	0	0	1	500	21	13332	252	163825	21	13332	21	13332	82	53332	21	13332	25	16000	16	10667	458	297652
68	बहराइच	0	0	10	6500	5	3333	168	109260	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	229	149092
	बहराइच/कतर्नियाघाट	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
69	गोण्डा	0	0	5	3000	5	3333	196	127530	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	252	163862
70	श्रावस्ती	0	0	0		5	3333	74	48400	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	126	81732
71	बलरामपुर /सोहेलवा वन्य जीव	0	0	0		5	3333	149	96922	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	200	130253
	बलरामपुर/ गोण्डा	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0
	देवीपाटन मण्डल	0	0	15	9500	21	13332	588	382112	21	13332	21	13332	82	53332	21	13332	25	16000	16	10667	808	524938
72	अलीगढ़	15	10000	0		5	3333	159	103215	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	225	146547
73	एटा	0	0	1	500	5	3333	95	61585	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	147	95417
74	हाथरस	0	0	0		5	3333	80	52030	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	131	85362
75	कासगंज	0	0	2	1500	5	3333	73	47260	5	3333	5	3333	21	13333	5	3333	6	4000	4	2667	126	82092
	अलीगढ़ मण्डल	15	10000	3	2000	21	13332	406	264090	21	13332	21	13332	82	53332	21	13332	25	16000	16	10667	630	409417
	महायोग-उत्तर प्रदेश	769	500000	769	500000	385	250000	10000	6500000	385	250000	385	250000	1538	1000000	385	250000	462	300000	308	200000	**15385**	10000000

http://...nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।